| | |
|---|---|
| 9.7.24 | वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 26.7.24 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी एवं<br>सहायक कलक्टर माण्डल |
| 26.7.24 | पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर रजि० एडी से डिलेवरी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया। विपक्षीगण को तिथि बार रूब रूब पर आवाजे दिलाये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश किया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>मांडल जिला भीलवाड़ा |

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्थान –सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या –258/24 प्रा०प०

1– श्री बद्धु S/o श्री रूपा गाडरी निवासी- किशनपुरा तहसील-माण्डल

प्रार्थी

बनाम

1– श्रीमती गागुती देवी W/o श्री नन्दलाल गाडरी निवासी- किशनपुरा त०माण्डल [कैमेरा]
(प्रश्नांकित प्राण्पत्र सलंग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 26.7.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया के ग्राम......किशनपुरा......पटवार हल्का......आलगास......तहसील माण्डल मे उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 ......573/517......कुल किता......01......रकबा......0.5059......हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ......09.07.24......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण के अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......किशनपुरा......पटवार हल्का......आलगास......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं......573/517...... कुल किता......01......रकबा......0.5059......हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक आलगास को......500......रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फराल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा